

अंत्योदय सरल



पशुपालन और डेयरी बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना के लिए योजना

योग्यताः

- 1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष और वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- 2. कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3. किसी भी समूह / फर्म / संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है।

मिलने वाला लाभः

योजना के तहत वित्तीय सहायताः

प्रत्येक परिवार को राजकीय हैचरी फार्म से 10 दिन की आयु के 50 कुक्कुट पक्षी बच्चे एवं दो फीडर व दो ड्रिंकर मुफ़्त में लाभार्थी के घर-द्वार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

आवश्यक दस्तावेजः

1. परिवार पहचान पत्र (PPP ID)

सेवा शुल्कः		
सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई शुल्क नहीं	10/- रूपये	10/- रूपये

आरटीएस समय सीमाः प्रस्तावित ३० कार्य दिवस।